संख्याः—   /XXVII(1)/2006

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
सम्बंधित नगर पंचायत,
उत्तरांचल (संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग—1

देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च 2006

विषयः— प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2005—06 की समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2005—06 में 70 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 30 प्रतिशत धनराशि उनके वित्तीय तथा संस्थागत कार्य निष्पादन से सम्बद्ध कर रोकी गई थी। समस्त नगर पंचायतों की रोकी गई कुल धनराशि रू0 22030000.00 (रू0 दो करोड़ बीस लाख तीस हजार मात्र) संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों की अधीन संक्रमित की जा रही है:—

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसे प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संक्रमित की गई है।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाऊचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेगें।

(3) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी

प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व हो की उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3— इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन—आयोजनेत्तर—01—नगरीय स्थानीय निकाय—193—नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि—03—राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः— यथोक्त।

भवदीय,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

संख्याः— 399(1)/XXVII(1)(1)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
2— आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3— निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, माता मन्दिर मार्ग, अजबपुर, देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6— विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य /वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7— महालेखाकार, उत्तरांचल ओबेरार्य मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
8— निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी , उत्तरांचल।
9— एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून ।

आज्ञा से,

1/3/2006
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव,वित्त

(धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	नगर पंचायत का नाम	आवंटित शेष 30 प्रतिशत धनराशि
1	2	3
1–	बड़कोट	687
2–	गंगोत्री	67
3–	बद्रीनाथ	95
4–	केदारनाथ	56
5–	नन्दप्रयाग	563
6–	कर्णप्रयाग	784
7–	रूद्रप्रयाग	1126
8–	गोचर	817
9–	मुनिकीरेती	739
10–	कीर्तिनगर	563
11–	देवप्रयाग	563
12–	चम्बा	739
13–	डोईवाला	755
14–	हरबर्टपुर	868
15–	कालाढुंगी	576
16–	भीमताल	552
17–	लालकुआं	611
18–	दिनेशपुर	832
19–	सुल्तानपुर	722
20–	केलाखेड़ा	732
21–	शक्तिगढ़	449
22–	महुआडाबरा	573
23–	महुआखेड़ागंज	832
24–	द्वाराहाट	563
25–	डीडीहाट	563
26–	धारचूला	725
27–	चम्पावत	1126
28–	लोहाघाट	658
29–	झबरेड़ा	879
30–	लण्ढोरा	1503
31–	लक्सर	1712
	योग:–	**22030**

(रू0 दो करोड़ बीस लाख तीस हजार मात्र)

1/3/2000

(एल0 एम0 पन्त)

अपर सचिव, वित्त।